



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6717

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 438 वर्ष 2026

अजरुद्दीनआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अमित कुमार गौड़, कर्मेन्द्र कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., सिकंदर खान

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री अमित कुमार गौड़, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री सिकंदर खान, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 760 वर्ष 2025, धाराओं 191(2), 191(3), 190, 115(2), 351(2), 103(1), 109(1) बी.एन.एस. और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 3/25/27 के अंतर्गत, थाना - खुर्जा नगर, जिला - बुलंदशहर में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक द्वारा 18 अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर पाँच व्यक्तियों पर हमला करके उन्हें गंभीर चोटें पहुँचाना बताया गया है जिनमें से एक की चोटों से मृत्यु हो गई। आवेदक के पास बंदूक होना बताया जाता है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि किसी भी घायल व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की चोट नहीं आई है और यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि आवेदक ने अपने पास रखी बंदूक का उपयोग किया।
6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप हैं। आवेदक दिनांक 23.08.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई



आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है कि आवेदक द्वारा प्रयुक्त बंदूक का बट टूटा हुआ पाया गया जो यह इंगित करता है कि आवेदक ने बंदूक के बट से घायल व्यक्तियों पर हमला किया। तथापि, इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए किसी घायल व्यक्ति या साक्षी का कोई बयान अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि आवेदक ने वास्तव में किसी घायल व्यक्ति को अपनी बंदूक के बट से मारा।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाए कि आवेदक ने बंदूक के बट से घायल व्यक्तियों पर हमला किया, प्रथम दृष्टया मुझे यह मामला आवेदक को जमानत पर रिहा करने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **अजरुद्दीन** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

सिद्धांत